संख्या-3/2018-सा-3-111/दस-2018/322(1)/2010

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक: 12 फरवरी, 2018

विषय:- सेवानिवृत्त सैन्य पेंशनरों के राज्य सरकार के सिविल पदों पर पुनर्योजन पर वेतन निर्धारण हेतु उपेक्षणीय पेंशन की धनराशि में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- सा-3-678/दस-2011-322(1)/2010, दिनांक 25 जुलाई, 2011 में यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे सैन्य पेंशनर जो 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व सेवानिवृत्त होते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सिविल पद पर पुनर्योजित किये जाते हैं, का दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतन निर्धारण, कमीशन्ड सैन्य अधिकारियों के मामले में सैन्य पेंशन के प्रथम रू0 4000/- को उपेक्षित करते हुये किया जाये।

2- भारत सरकार द्वारा पुनर्योजन के मामले में उपेक्षणीय पेंशन की धनराशि कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/3/2016 - ESTT, (Pay-II), दिनांक 01 मई, 2017 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से रू0 4000/- से बढ़ाकर रू0 15000/- कर दी गयी है।

3- भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01 मई, 2017 के क्रम में उपर्युक्त व्यवस्था अनुरूप 55 वर्ष की आयु के पूर्व सेवानिवृत्त कमीशन्ड सैन्य पेंशनरों तथा सेवानिवृत्ति के समय समूह 'क' के पदों पर कार्यरत रहे सिविल अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में पुनर्योजित होने पर उनके वेतन निर्धारण हेतु उपेक्षणीय पेंशन की धनराशि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से रू0 4000/- के स्थान पर रू0 15000/- किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- उक्त शासनादेश दिनांक 25 जुलाई, 2011 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,
संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव।

--2--

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-3/2018-सा-3-111/दस-2018, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1)- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2)- समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन।

(3)- निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ0प्र0 लखनऊ।

(4)- निदेशक, पेंशन निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

(5)- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

(6)- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उ0प्र0 लखनऊ।

(7)- निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

(8)- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

(9)- मुख्य भुगतान एवं लेखाधिकारी, यू0पी0 भवन, नई दिल्ली।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।